उनवान बनाम

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुये।
	प्रमातीबाई बनाम सुदर्शनवगैरा	
09.01.2020	विद्वान अधिवक्ता श्री महेश चन्द शर्मा द्वारा वाद पत्र तकारना/उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.02.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला-दौसा (राज.)	
21.2.2020	पत्रावली पेश हुई प्रत्रावली वास्ते गत आदेश की पालना में दिनांक 17.4.2020 को पेश हो। रीडर	
17/8/20	पत्रावली देखकर पाया प्रमातीबाई स्वयं मय वकील उपस्थित नहीं हुए अतः बाद लिखा परवाना चाहा है यानी का जायेगा पत्रावली स्वीकार किया जाकर वादपत्री लिखा किया जाता है यानी की पहचान श्री महेशचन्द शर्मा एवं द्वारा की गई वाद पत्री लिखा किया जाकर स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली रैकर्ड मुआ होकर पेश। ठीक है। वास्तविक तकमीन दायिक कमर है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा (दौसा)	